

सर्वोच्च न्यायालय ने वननयार कोटा रद्द किया

प्रलिस के लिये:

तमलिनाडु में वननयिकुला क्षत्रयि समुदाय, संवधान की नौवीं अनुसूची ।

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने [तमलिनाडु में वननयिकुला क्षत्रयि समुदाय](#) के लिये 10.5 प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया ।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वननयिकुला क्षत्रयि समुदाय को 10.5% आंतरिक आरक्षण समानता, गैर-भेदभाव और तमलिनाडु में 115 अन्य अल्पसंख्यक समुदायों (MBCs) तथा वमिकृत समुदायों (DNCs) के समान अवसर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है ।
- राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग (MBC) के कुल 20% के कोटे के भीतर एक समुदाय को 10.5 फीसदी आरक्षण का आवंटन और इस श्रेणी में अन्य 115 अन्य समुदायों को केवल 9.5% कोटा देने का कोई विशिष्ट एवं पर्याप्त आधार नहीं है ।
- इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि इस दावे का समर्थन करने के लिये वर्ष 2021 के अधिनियम से पहले कोई मूल्यांकन या विश्लेषण नहीं किया गया था कि वननयिकुला क्षत्रयि अन्य MBCs और DNCs की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक पछिड़े थे ।
- न्यायालय ने रेखांकित किया कि जाति आंतरिक आरक्षण के लिये शुरुआती बढ़ि हो सकती है, लेकिन यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह नरिणय की तर्कसंगतता को सही ठहराए ।
- हालाँकि न्यायालय ने वर्ष 2021 के अधिनियम और इसके आरक्षण के प्रतिशत को असंवैधानिक ठहराया, लेकिन इसने राज्य की विधायी क्षमता को चहिनति पछिड़े वर्गों के भीतर उप-वर्गीकरण एवं इस प्रतिशत को विभाजित करने के लिये कानून बनाने हेतु एक सक्षम प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी है ।

वननयिकुला क्षत्रयि आरक्षण क्या है?

- [संवधान की नौवीं अनुसूची](#) के तहत संरक्षण प्राप्त वर्ष 1994 के अधिनियम के तहत तमलिनाडु में 69% आरक्षण लागू है ।
 - 69% में से ईसाई और मुसलमानों सहित पछिड़े वर्गों को 30% MBCs को 20%; अनुसूचित जातियों को 18% और अनुसूचित जनजातों के लिये 1% आरक्षण की व्यवस्था है ।
- यह आरक्षण राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग और वमिकृत समुदाय अधिनियम, 2021 के तहत प्रदान किया गया था ।
- इसमें वननयिकुला क्षत्रयि (वननयार, वनयि, वननयि गौडर, गौडर या कंदर, पडायिची, पल्ली और अग्निकुल क्षत्रयि सहित) समुदाय को शामिल किया गया था ।
- वर्ष 1983 में दूसरे तमलिनाडु पछिड़ा आयोग ने माना कि वननयिकुला क्षत्रयियों की आबादी राज्य की कुल आबादी का 13.01% है ।
- इसलिये 13.01% की आबादी वाले समुदाय को 10.5% आरक्षण के प्रावधान को अनुपातहीन नहीं कहा जा सकता है ।

भारतीय संवधान की नौवीं अनुसूची:

- नौवीं अनुसूची को भारतीय संवधान में पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ।
- इसे 10 मई, 1951 को जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जाने से बचाने के लिये पेश किया गया था ।
- इसे नए अनुच्छेद 31B द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था ।
 - अनुच्छेद 31B का एक पूर्वव्यापी (Retrospective) संचालन भी है, अर्थात् न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि

किसी कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा।

- जबकि अनुसूची के तहत संरक्षित अधिकांश कानून कृषि/भूमि के मुद्दों से संबंधित हैं, इसके साथ ही सूची में अन्य विषय भी शामिल हैं।
- हालाँकि अनुच्छेद 31B [न्यायिक समीक्षा](#) से परे है, जबकि बाद में शीर्ष अदालत द्वारा कहा गया कि नौवीं अनुसूची के तहत कानून भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन करते हैं।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची को भारत के संविधान में नमिनलखिति में से कसि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था? (2019)

- (a) जवाहर लाल नेहरू
- (b) लाल बहादुर शास्त्री
- (c) इंदिरा गांधी
- (d) मोरारजी देसाई

उत्तर: (a)

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-strikes-down-vanniya-quota>

